पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रवि पोद्दार

बनाम

मित्र मंडल संगठन एवं अन्य

2021 की विविध अपील सं. 589

02 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता ने प्रारंभिक दृष्टया ऐसा मामला स्थापित किया जो उसे अस्थायी निषेधाज्ञा का अधिकार देता है, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की आदेश 39 नियम 1 और 2 में वर्णित है।

हेडनोट्स

यदि वाद लंबित रहने के दौरान संपत्ति की स्थिति, चाहे स्वामित्व के संदर्भ में हो या कब्जे के, बदलती है तो वादी को होने वाला नुकसान अपूरणीय हो सकता है। यह विवादित नहीं है कि 07.04.2004 को अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच एक समझौता हुआ था। कुल सहमत राशि का 50% भुगतान किया गया था, जो यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता के पक्ष में एक मजबूत प्रारंभिक दृष्टया मामला है। (अनुच्छेद 29, 34)

अपीलकर्ता का मजबूत प्रारंभिक दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है और यदि अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाती तो अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। - विविध अपील स्वीकार की गई। (अनुच्छेद 37)

न्याय दृष्टान्त

किशोरसिंह रतनसिंह जाडेजा बनाम मारुति कॉर्पोरेशन, **(2009) 11 एससीसी 229;** हज़रत सुरत शाह उर्दू एजुकेशन सोसायटी बनाम अब्दुल साहब, **1988 (4) जेटी 232;** दलपत कुमार एवं अन्य बनाम प्रहलाद सिंह एवं अन्य, **(1992) 1 एससीसी 719;** अंबालाल सराभाई

एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम के.एस. इन्फ्रा स्पेस एलएलपी लिमिटेड, **(2020) 5 एससीसी 410;** दुलार चंद साह एवं अन्य बनाम देवनाथ साह एवं अन्य, **मनु/बीएच/0794/2015**

अधिनियमों की सूची

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 39 नियम 1 और 2, आदेश 7 नियम 11; विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 – धारा 36, 37

मुख्य शब्दों की सूची

अस्थायी निषेधाज्ञा; प्रारंभिक दृष्टया मामला; सुविधा का संतुलन; अपूरणीय क्षति; विशिष्ट निष्पादन; संपत्ति का अंतरण; संपत्ति में हिस्सेदारी हेतु समझौता; नीलामी बिक्री

प्रकरण से उत्पन्न

टाइटल सूट संख्या 625/2019, दिनांक 04.10.2021 का आदेश, जिसे सारण, छपरा के विद्वान अतिरिक्त उप-न्यायाधीश-1 द्वारा पारित किया गया, जिसमें आदेश 39 नियम 1 और 2 दी.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री जे.पी. सिंह, अधिवक्ता; श्री चंद्र मोहन झा, अधिवक्ता; श्री धनंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता संख्या 3 की ओर से: श्री समरेन्द्र कुमार झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता संख्या 1, 2 एवं 9 की ओर से: श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री हरीश कुमार, अधिवक्ता; श्री आलोक चंद्र, अधिवक्ता

उत्तरदाता संख्या 5, 6, 7 एवं 8 की ओर से: श्री वलीउर रहमान, श्री निशांत कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की विविध अपील सं. 589

==========

रवि पोद्दार, श्री शिव रवि पोद्दार, पिता- श्री शिव भगवान पोद्दार, निवास- जवाहर लाल रोड, पुलिस स्टेशन-टाउन, जिला-मुजफ्फरपुर।

... ... अपीलकर्ता

बनाम

1. मेसर्स मित्र मंडल संगठन (व्यक्तियों का संघ), जिसे आगे एओपी कहा गया है, इसके अध्यक्ष काली दास सिंह के माध्यम से, उम्र 45 वर्ष।
2. काली दास सिंह, पिता- मुन्ना लाल सिंह, निवास- वाई-22/05, आवास विकास कल्याणपुर, कानपुर सिटी, उत्तर प्रदेश, स्थायी पता: गांव और पोस्ट काशीपुर, जिला-कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश, पिन-209311।
3. अजीत कुमार, पिता- अखिलेश्वर प्रसाद, निवास- मारहौराह खुर, पुलिस स्टेशन-मारहौराह, जिला-सारण छपरा।
4. मिस सैंड्रा, पिता- श्री राम अवध सिंह की पुत्री, निवास- गांव और पोस्ट रामपार्ट, जिला-गाजीपुर (उत्तर प्रदेश), पिन-(233001)।
5. हेमंत सिंह, पिता- रामा सिंह, निवास- गांव और पोस्ट काशीपुर, कानपुर देहात, जिला-कानपुर (उत्तर प्रदेश), पिन-209311।
6. अनिल कटियार, पिता- श्री रतन कटियार, निवास- अशोक नगर, बेल्हौर, कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश), पिन-(208001)।
7. राज कुमार, निवास- मोहल्ला नरेंद्र नगर, मकान सं. 37/0, उन्नाव जिला-उन्नाव (उत्तर प्रदेश), पिन-(20981)।
8. संतोष कुमार, पिता- काली चरण सिंह, निवास- प्लॉट नंबर 16, गंगा नगर, श्याम नगर, कानपुर, जिला-कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश), पिन-(20931)।
9. मेसर्स मित्र मंडल संगठन, उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम 1965 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी, इसके अध्यक्ष काली दास सिंह के माध्यम से, मुन्ना लाल सिंह , निवास- वाई-2215, आवास विकास कल्याणपुर, कानपुर सिटी (उत्तर प्रदेश)।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/कर्ता के लिए	:	श्री जे.पी. सिंह, अधिवक्ता
		श्री चंद्र मोहन झा, अधिवक्ता
		श्री धनंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता
उत्तरदाता सं. 3 के लिए	:	श्री समरेंद्र कुमार झा, अधिवक्ता
उत्तरदाता सं. 1, 2 और 9 के लिए	:	श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता
		श्री हरीश कुमार, अधिवक्ता
		श्री अलोक चंद्रा, अधिवक्ता
उत्तरदाता सं. 5, 6, 7 और 8 के लिए	:	श्री वलीउर रहमान, अधिवक्ता
		श्री निशांत कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 02-08-2023

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. यह विविध अपील दीवानी वाद सं. 625 वर्ष 2019 में दिनांक 04.10.2021 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो सारण छपरा के विद्वान अतिरिक्त उप-न्यायाधीश-1 द्वारा पारित किया गया था, जिसमें वादी/अपीलकर्ता द्वारा धारा 94 के साथ आदेश 39 नियम 1 और 2 दी.प्र.सं. के तहत दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं को वाद संपत्ति हस्तांतरित करने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने की मांग की गई थी।

3. अपीलकर्ता वाद में वादी है और प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 1, अर्थात् मेसर्स मित्र मंडल संगठन, व्यक्तियों का एक संघ (एओपी) है, जो भूमि की खरीद और बिक्री के उद्देश्य से गठित है और यह अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य करता है। प्रतिवादी/उत्तरदाता सं. 2 से 8 इसके संस्थापक सदस्य हैं। प्रतिवादी सं. 1 के सदस्यों

ने प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। बीआईएफआर द्वारा बीमार कंपनी, अर्थात् मेसर्स सारण इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को समाप्त करने के लिए संदर्भ दिए जाने पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विविध कंपनी आवेदन सं. 06/1995 पंजीकृत किया गया और कंपनी न्यायाधीश ने आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया, जिसने इसकी अचल और चल संपत्तियों की नीलामी बिक्री के लिए निर्देश दिया। प्रतिवादी सं. 1, मेसर्स मित्र मंडल संस्थान ने 06.01.2004 दिनांकित 5 लाख रुपये का ड्राफ्ट जमा करके अपनी निविदा प्रस्तुत की, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान कंपनी न्यायाधीश के खुले न्यायालय में 07.01.2004 को आयोजित सार्वजनिक नीलामी में भाग लिया और लॉट सं. 1 संपत्ति, अर्थात् मेसर्स सारण इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की फैक्टरी की भूमि और भवन के लिए 67 लाख रुपये की उच्चतम राशि की पेशकश की, जो खुले बोली में स्वीकार की गई और इसके पक्ष में बिक्री को अस्थायी रूप से पुष्टि की गई, जिसमें खरीदार उत्तरदाता सं. 1 को 2 महीनों के भीतर 31 लाख रुपये जमा करने और शेष 31 लाख रुपये उस तिथि पर भुगतान करने का निर्देश दिया गया, जब मेसर्स गुंजन ट्रेडिंग कंपनी, जिसने प्लांट और मशीनरी, अर्थात् मेसर्स सारण इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की लॉट सं. 2 खरीदी थी, द्वारा प्लांट और मशीनरी हटाए जाएंगे। यह भी कहा गया कि जब तक भुगतान नहीं हो जाता, तब तक खरीदार उत्तरदाता सं. 1 संपत्ति से निपटने का हकदार नहीं था।

4. मेसर्स मित्र मंडल संगठन (उत्तरदाता सं. 1) के पास उक्त बिक्री प्रतिफल राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं था, इसलिए उसने वादी/अपीलकर्ता से 23.45 लाख रुपये (अर्थात् कुल बिक्री प्रतिफल 67 लाख रुपये का 35%) का भुगतान करने के लिए संपर्क किया, जिसके लिए प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 1 ने प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 के माध्यम से मेसर्स सारण इंजीनियरिंग लिमिटेड की भूमि

और भवन के हिस्से में 35% स्वामित्व हस्तांतरित करने की पेशकश की, जो मेसर्स मित्र मंडल संगठन द्वारा न्यायालय बिक्री में खरीदी गई थी। तदनुसार, 07.04.2004 दिनांकित एक समझौता निष्पादित किया गया। वादी-अपीलकर्ता ने पांच डिमांड ड्राफ्ट और 27,500/- रुपये नकद के माध्यम से कुल 11,72,500/- रुपये का भुगतान किया। ड्राफ्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक के पक्ष में बनाए गए थे, जो 23.45 लाख रुपये का आधा था, और इन्हें प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 को दिया गया, जिसने इन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक के साथ जमा किया, और उक्त तथ्य उक्त समझौते में उल्लिखित है।

5. वादी-अपीलकर्ता ने दावा किया कि इसके तुरंत बाद उसने शेष राशि अर्थात् 11,72,500/- रुपये को प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 को नवंबर और दिसंबर, 2005 में विभिन्न तिथियों पर नकद में तीन किस्तों में भुगतान किया ताकि प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 1 द्वारा शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान आधिकारिक परिसमापक को किया जा सके। प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 1 ने 03.01.2006 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक के साथ 31 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसमें वादी-अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 को किया गया 11,72,500/- रुपये का भुगतान शामिल है।

6. विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने दिनांक 08.02.2006 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 1 के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की। इस गलत बयानी पर कि मेसर्स मित्र मंडल संगठन, मेसर्स गुंजन ट्रेडिंग कंपनी का एक सहयोगी संगठन है, जिसका प्रतिनिधित्व राज कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया है, दिनांक 08.06.2007 का बिक्री पत्र मेसर्स मित्र मंडल संस्थान के नाम पर, जो मेसर्स गुंजन ट्रेडिंग कंपनी के सहयोगी संगठन के रूप में है और जिसका प्रतिनिधित्व राज कुमार

अग्रवाल द्वारा किया गया, निष्पादित किया गया। मेसर्स मित्र मंडल संस्थान ने खुद को उत्तर प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत दिनांक 24.08.2016 को पंजीकृत कराया। प्रबंधन का एक विवाद शुरू हुआ और सक्षम प्राधिकारी ने पुष्टि की कि प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 सोसायटी का अध्यक्ष है और प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 3 से 8 इसके सदस्य हैं, और तदनुसार, भूमि और भवन प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 को सौंप दिया गया।

7. यह आगे दावा किया गया है कि अपीलकर्ता उत्तरदाता सं. 9 के स्वामित्व पर संशय हटाने से संबंधित विवाद के समाधान की प्रतीक्षा कर रहा था और 2019 में उत्तरदाता सं. 9 के स्वामित्व, मालिकाना और कब्जे से संबंधित सभी विवाद सक्षम प्राधिकारी और आधिकारिक परिसमापक द्वारा सुलझा लिए गए। 2019 में, वादी-अपीलकर्ता ने उत्तरदाता सं. 2 से समझौते की शर्तों और नियमों का सम्मान करने और पालन करने का अनुरोध किया और अपने 35% हिस्से को चिह्नित करने और अपने हिस्से में आने वाली भूमि और भवन को सौंपने की मांग की, लेकिन उत्तरदाता सं. 2 ने हिस्से को निर्दिष्ट करने और सौंपने से परहेज किया और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने उक्त वाद दायर किया।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना करने में विफल रही कि अपीलकर्ता ने केवल मौद्रिक प्रतिफल प्राप्त करने के बजाय अनुबंध को लागू करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा की राहत प्रदान नहीं की जाती है, तो अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

9. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो वाद संपत्ति का तृतीय पक्ष को हस्तांतरण जटिलता और कार्यवाही की

बहुलता का परिणाम होगा, जिसमें कई व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। 09.10.2021 को, विचारण न्यायालय द्वारा 04.10.2021 को निषेधाज्ञा याचिका अस्वीकार किए जाने के बाद, प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 ने जल्दबाजी में भूमि बेचना शुरू कर दिया और विवादित भूमि के 8 बिक्री पत्र निष्पादित किए। विचारण न्यायालय ने यह विचार नहीं किया कि अपीलकर्ता के पास मजबूत *प्रथम दृष्टया* मामला है, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और यदि निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.11.2019 के आदेश से प्रतिवादियों द्वारा कारण बताओ दाखिल करने तक यथास्थिति का आदेश पारित किया था। प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 और 5 ने कारण बताओ/लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि शेष राशि का भुगतान न करने के कारण समझौता स्वतः समाप्त हो गया और वाद सीमा द्वारा वर्जित था।

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि समझौते का निष्पादन एक स्वीकृत दस्तावेज है, लेकिन निषेधाज्ञा याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर अस्वीकार की गई कि चूंकि उत्तरदाता का कहना है कि शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए समझौता समाप्त हो गया है और ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के पास *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं है और यदि निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो वादी-अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति नहीं होगी क्योंकि उसे धन के संदर्भ में मुआवजा दिया जा सकता है।

11. आगे, उन्होंने तर्क दिया कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब विवाद स्वीकार किया जाता है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि अंतरिम आदेश द्वारा विवाद के विषय वस्तु को संरक्षित करे ताकि यह न्यायनिर्णयन के समय उपलब्ध हो सके।

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में वादी के पास *प्रथम दृष्टया* मामला है और यदि प्रतिवादी को रोकते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो प्रतिवादियों के आचरण के दृष्टिकोण से, जिन्होंने वाद भूमि को जल्दबाजी में हस्तांतरित किया, विवाद का विषय वस्तु न्यायनिर्णयन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। वाद में परीक्षण की जाने वाली एक विवादित प्रश्न है।

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उत्तरदाता सं. 3, जो उक्त एओपी का सचिव था, ने विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलकर्ता के हिस्से को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने मारहौरा के श्रम संघ को ड्राफ्ट के माध्यम से 16 लाख रुपये का भुगतान किया और उक्त कंपनी की भूमि खाली करने के लिए उनके बीच 56 लाख रुपये लागत के रूप में वितरित किया, जिसके लिए उक्त कंपनी के जी.एम. द्वारा उसे एक प्रमाण पत्र जारी किया गया।

14. उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 04.08.2021 को निषेधाज्ञा याचिका अस्वीकार किए जाने के बाद, प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 ने वाद भूमि को हस्तांतरित करना शुरू कर दिया और आठ बिक्री पत्र निष्पादित किए। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2022 के आदेश से वाद संपत्ति के संबंध में यथास्थिति का आदेश पारित किया गया और इसे दिनांक 25.08.2022 के आदेश से इस मामले की लंबित अवधि के दौरान जारी रखा गया।

15. उन्होंने आगे तर्क दिया कि उत्तरदाता सं. 2 ने मामले को लंबित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 दी.प्र.सं. के तहत याचिका दायर की, जिसे दिनांक 23.03.2023 के आदेश से अस्वीकार कर दिया गया।

उत्तरदाता सं. 2 ने उक्त दिनांक 23.03.2023 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए समय मांगा, लेकिन आज तक कोई पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया गया है। उत्तरदाता सं. 2 वाद के निपटारे में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। उत्तरदाता सं. 2 ने कुल 23 *बीघा* में से सड़क की ओर से मूल्यवान 10 *बीघा* से अधिक भूमि बेच दी है, जो पक्षकारों के बीच उक्त समझौते के खंड 6 का उल्लंघन है।

16. आगे, उन्होंने तर्क दिया कि यदि अपीलकर्ता ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया, तो उत्तरदाता सं. 2 ने उक्त भुगतान के लिए कोई अनुस्मारक या सूचना क्यों नहीं दी और वह उक्त नीलामी प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ। अपीलकर्ता ने समझौते के प्रति अपने दायित्वों को पूरा किया, लेकिन उत्तरदाता सं. 2 उसका हिस्सा हड़पना चाहता है।

17. *इसके विपरीत,* उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरदाता वाद भूमि के पूर्ण मालिक और स्वामित्व धारक बन गए हैं और, तदनुसार, वाद संपत्ति को हस्तांतरित/विमुक्त करने और इसे अपनी तरह से प्रबंधित करने का हर अधिकार है। उत्तरदाता सं. 1, 2 और 9 की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने 23.50 लाख रुपये की सहमत राशि के खिलाफ 11,75,500/- रुपये का आंशिक भुगतान करके उत्तरदाताओं को धोखा दिया और शेष आधा बिल्कुल नहीं भुगतान किया गया और भुगतान की गई राशि जब्त की गई होगी और अपीलकर्ता का उत्तरदाताओं से नीलामी के तहत संपत्ति पर कोई दावा नहीं है। अपीलकर्ता समझौते की शर्तों को पूरा करने में विफल रहा और सहमत धन का भुगतान नहीं किया और ऐसा न करने से अपीलकर्ता का वाद संपत्ति में कोई अधिकार या हित नहीं है।

18. आगे, तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के पास *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं है, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में नहीं है और यदि उसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो कोई अपूरणीय हानि नहीं होगी और विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से दाखिल अस्थायी निषेधाज्ञा याचिका को सही रूप से अस्वीकार किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विशिष्ट प्रदर्शन के वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा केवल असाधारण प्रस्तुत किया मामले में ही प्रदान की जा सकती है।

19. आगे, यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाता सं. 2 ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत इलाहाबाद के आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसने उत्तरदाता सं. 2 को सूचित किया कि अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए डिमांड ड्राफ्ट को नकद नहीं किया गया और न ही इलाहाबाद के आधिकारिक परिसमापक में जमा किया गया। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने विचाराधीन संपत्ति के खिलाफ एक भी पैसा निवेश नहीं किया है।

20. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच करने पर, यह प्रतीत होता है कि काली दास सिंह (उत्तरदाता सं. 2) के दिनांक 25.11.2014 के शपथ पत्र में, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त राशि जुटाने के प्रयासों में, शपथकर्ता ने श्री शिव भगवान पोद्दार के पुत्र रवि पोद्दार के साथ समझौता किया, जिसमें मेसर्स मित्र मंडल संगठन द्वारा 07.01.2004 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित नीलामी में खरीदी गई भूमि और भवन के 35 प्रतिशत हिस्से पर सहमति हुई। उक्त हिस्से के बदले श्री रवि पोद्दार को ड्राफ्ट और नकद के माध्यम से 23.45 लाख रुपये का भुगतान करना था। उक्त समझौता

निष्पादित करने के समय श्री रवि पोद्दार ने आधिकारिक परिसमापक के पक्ष में आहरित किए गए 5 विभिन्न ड्राफ्ट के माध्यम से कुल 11,72,500/- रुपये का भुगतान किया, जिसमें 27,500/- रुपये की राशि शामिल थी जो शपथकर्ता को नकद में भुगतान की गई थी। चूंकि शपथकर्ता 07.04.2004 तक 11,72,500/- रुपये जुटाने में सक्षम था, उसने इसे आधिकारिक परिसमापक के समक्ष जमा किया, भले ही मेसर्स गुंजन ट्रेडिंग कंपनी ने उस समय तक माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित प्लांट और मशीनरी को नहीं हटाया था। दिनांक 07.04.2004 के समझौते की सच्ची प्रति इस शपथ पत्र के अनुलग्नक 6 के रूप में संलग्न है।

21. प्रतिवादी सं. 2 की ओर से दाखिल लिखित बयान के अनुच्छेद 16 में उन्होंने स्वीकार किया है कि वादी ने स्वेच्छा से 02.04.2004 को परिसमापकों को केवल 11,72,000/- रुपये का ड्राफ्ट और नकद जमा किया। इसके बाद 23.45 लाख रुपये में से शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहा। प्रतिवादी सं. 2 ने उसे शेष राशि भुगतान करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने मना कर दिया और परिसमापक को शेष राशि नहीं भुगतान की। प्रतिवादी सं. 2 ने राशि का भुगतान किया। वादी ने स्वयं समझौते की शर्तों को तोड़ा और कथित समझौते से पीछे हट गया।

22. अस्थायी निषेधाज्ञा और मध्यस्थ आदेश प्रदान करने के संबंध में कानून दी.प्र.सं. के आदेश 39 द्वारा कवर किया गया है। यह अब अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने से पहले, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि *प्रथम दृष्टया* मामला निषेधाज्ञा मांगने वाले व्यक्ति के पक्ष में है और सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति भी उसके पक्ष में है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **किशोरसिंह रतनसिंह जडेजा बनाम मारुति कॉर्पोरेशन, (2009) 11 एससीसी 229** में माना कि यह अच्छी तरह से

स्थापित है कि आदेश 39 नियम 1 और 2 दी.प्र.सं. के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते समय, न्यायालय को निम्नलिखित पर विचार करना आवश्यक है:

(i) क्या वाद प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में है;

(ii) क्या निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में सुविधा का संतुलन है; और

(iii) यदि मांगी गई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जाएगा, तो क्या वादी को अपूरणीय क्षति होगी।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हजरत सूरत शाह उर्दू एजुकेशन सोसायटी बनाम अब्दुल साहेब** के मामले में, 1988 (4) जजमेंट्स टुडे 232 : मनु/एस सी/0651/1988 में देखा कि कोई अस्थायी निषेधाज्ञा तब तक जारी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तीन आवश्यक तत्व साबित न हों, अर्थात् (1) *प्रथम दृष्टया* मामला, (2) सुविधा का संतुलन, (3) ऐसी अपूरणीय क्षति जो धन के संदर्भ में मुआवजा नहीं दी जा सकती। यदि कोई पक्ष इन तीन तत्वों में से किसी को साबित करने में विफल रहता है, तो वह निषेधाज्ञा का हकदार नहीं होगा और न्यायालय निषेधाज्ञा जारी करने से इंकार करने में उचित होगा।

25. शब्द 'प्रथम दृष्टया मामला' स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा इंगित करता है जो पहला प्रभाव पर परीक्षण योग्य मामला बनाता है। 'प्रथम दृष्टया मामला' शब्द को 'प्रथम दृष्टया स्वामित्व' शब्द से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसे पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने पर परीक्षण में स्थापित करना होता है। इस प्रकार, इसका अर्थ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है और जो पहली नजर में जांच और गुण-दोष के आधार पर निर्णय की आवश्यकता रखता है।

26. शब्द 'सुविधा का संतुलन' यह दर्शाता है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि निषेधाज्ञा मांगने वाले व्यक्ति को होने वाली तुलनात्मक दुर्भाग्य और कष्ट, निषेधाज्ञा प्रदान करने से दूसरे पक्ष को होने वाली असुविधा से अधिक है।

27. शब्द 'अपूरणीय क्षति' न्यायालय को यह संतुष्ट करने के लिए मार्गदर्शन करता है कि निषेधाज्ञा प्रदान करने से इंकार करने पर ऐसी क्षति होगी जिसे लागत या अन्यथा के संदर्भ में मुआवजा नहीं दिया जा सकता और निषेधाज्ञा मांगने वाले व्यक्ति को आशंकित क्षति के परिणामों से संरक्षित करने की आवश्यकता है।

28. उपरोक्त तीन तत्वों से निपटते समय, न्यायालय को छोटा परीक्षण आयोजित करने से परहेज करना चाहिए। न्यायालय को उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में प्रासंगिक याचिकाओं का परीक्षण करने का प्रयास करना चाहिए और यदि यह पाता है कि कोई विवादास्पद मुद्दा है जो पक्षकारों के साक्ष्य की आवश्यकता रखता है और सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति निषेधाज्ञा मांगने वाले पक्ष के पक्ष में है, तो यथास्थिति को संरक्षित किया जाए, क्योंकि प्रारंभिक चरण में पक्षकारों के अधिकार अविकसित अवस्था में होते हैं। न्यायालय को पक्षकारों के अधिकार निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी, जो केवल परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकते हैं और न्यायालय को यह निश्चित राय बनाने में सक्षम बनाएंगे कि क्या वादी के पास निर्णय पारित करने के लिए वैध अधिकार या हित है या नहीं।

29. निष्पक्षता और न्याय के हितों पर विचार विवाद के विषय वस्तु के संबंध में यथास्थिति के संरक्षण को उचित ठहराएंगे। इसका कारण यह है कि यदि अंततः वादी का मामला बिना गुण के पाया जाता है, तो प्रतिवादी संपत्ति से जैसा चाहे निपट सकता है और अंतरिम अवधि में ऐसा करने में असमर्थता से होने वाले किसी

भी पूर्वाग्रह के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जा सकता है, जबकि यदि लंबित विवाद के दौरान संपत्ति की स्थिति, चाहे स्वामित्व या कब्जे के संबंध में, बदल जाती है, तो वादी को होने वाला परिणामी पूर्वाग्रह अपूरणीय हो सकता है। सुविधा का संतुलन के सिद्धांत भी, सामान्य रूप से, मुकदमेबाजी की लंबित अवधि के दौरान यथास्थिति के रखरखाव को उचित ठहराते हैं।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***दलपत कुमार एवं अन्य बनाम प्रह्लाद सिंह एवं अन्य, (1992) 1 एससीसी 719*** में माना कि नियम 1 मुख्य रूप से विवाद में संपत्ति के संरक्षण से संबंधित है जब तक कि कानूनी अधिकारों का न्यायनिर्णयन नहीं हो जाता। निषेधाज्ञा एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पक्ष को कोई विशेष कार्य करने या करने से परहेज करने की आवश्यकता होती है। यह मुकदमेबाज को भविष्य की संभावित क्षति को रोकने के लिए निवारक राहत की प्रकृति में है। दूसरे शब्दों में, अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने की शक्ति के प्रयोग पर, न्यायालय को वाद के विषय वस्तु को कुछ समय के लिए *यथास्थिति* में संरक्षित करना है। निषेधाज्ञा प्रदान करना एक विवेकाधीन राहत है। इसका प्रयोग इस बात पर निर्भर है कि न्यायालय संतुष्ट हो कि (1) वाद में गंभीर विवादित प्रश्न है जिसका परीक्षण किया जाना है और न्यायालय के समक्ष तथ्यों के आधार पर, वादी/प्रतिवादी द्वारा मांगी गई राहत का हकदार होने की संभावना है, (2) पक्ष को क्षति के प्रकार से संरक्षित करने के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, परीक्षण में कानूनी अधिकार स्थापित होने से पहले अपूरणीय क्षति या हानि होगी; और (3) निषेधाज्ञा रोकने से होने वाली तुलनात्मक कष्ट या दुर्भाग्य या असुविधा, इसे प्रदान करने से होने वाली असुविधा से अधिक होगी।

31. माननीय शीर्ष न्यायालय ने आगे माना कि *प्रथम दृष्टया* मामला आवेदकों के पक्ष में होना चाहिए जिसका परीक्षण में न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया अधिकार का अस्तित्व और उसकी संपत्ति या अधिकार के आनंद का उल्लंघन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने की शर्त है। प्रथम दृष्टया मामला को प्रथम दृष्टया स्वामित्व से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसे परीक्षण में साक्ष्य पर स्थापित करना होता है।

32. इस न्यायालय ने **दुलार चंद साह एवं अन्य बनाम देवनाथ साह एवं अन्य, मनु/बीएच/0794/2015** में देखा कि:

"निषेधाज्ञा मांगने वाले व्यक्ति को न्यायालय को तीन तत्वों से संतुष्ट करना है, अर्थात्, *प्रथम दृष्टया* मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय हानि। यदि कोई तत्व गायब है, तो न्यायालय निषेधाज्ञा प्रदान करने से इंकार करेगा। केवल *प्रथम दृष्टया* मामला की संतुष्टि निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना है कि न्यायालय द्वारा गैर-हस्तक्षेप से राहत मांगने वाले पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी और पक्ष के पास निषेधाज्ञा प्रदान करने के अलावा कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है और उसे आशंकित क्षति या विस्थापन के परिणामों से संरक्षण की आवश्यकता है। अपूरणीय क्षति का अर्थ यह नहीं है कि क्षति की मरम्मत की कोई भौतिक संभावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ केवल यह है कि क्षति महत्त्वपूर्ण वाली होनी चाहिए, अर्थात्, ऐसी जो धन के संदर्भ में पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दी जा सकती। यहां तक कि जहां वादी के पक्ष में *प्रथम दृष्टया* मामला साबित होता है, यदि अस्थायी निषेधाज्ञा के इंकार के कारण वादी द्वारा भुगती गई क्षति अपूरणीय नहीं थी, तो न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने से इंकार करेगा..."।

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अंबालाल सराभाई एंटरप्राइज लिमिटेड बनाम केएस इंफ्रा स्पेस एलएलपी लिमिटेड, (2020) 5 एससीसी 410** में अनुच्छेद 15 और 16 में देखा कि:

"15. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया) की धारा 36, अध्याय VII, निवारक राहत प्रदान करने के लिए प्रावधान करती है। धारा 37 प्रदान करती है कि वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित की जाएगी। विशिष्ट प्रदर्शन के वाद में राहत प्रदान करना स्वयं एक विवेकाधीन उपाय है। विशिष्ट निष्पादन के वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा मांगने वाला वादी इसलिए निर्विवाद तथ्यों के आधार पर मजबूत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना होगा। निषेधाज्ञा के उद्देश्यों के लिए वादी का आचरण भी बहुत प्रासंगिक विचार होगा। इस चरण में विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से और मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए।

16. अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के प्रमुख सिद्धांतों पर ***दलपत कुमार बनाम प्रह्लाद सिंह, (1992) 1 एससीसी 719*** *में विचार किया गया, जिसमें देखा गया कि:*

'5... केवल प्रथम दृष्टया मामला की संतुष्टि निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को आगे संतुष्ट होना है कि न्यायालय द्वारा गैर-हस्तक्षेप से राहत मांगने वाले पक्ष को 'अपूरणीय क्षति' होगी और पक्ष के पास निषेधाज्ञा प्रदान करने के अलावा कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है और उसे आशंकित क्षति या विस्थापन के परिणामों से संरक्षण की आवश्यकता है। अपूरणीय क्षति का अर्थ यह नहीं है कि क्षति की मरम्मत की कोई भौतिक संभावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ केवल

यह है कि क्षति महत्वपूर्ण वाली होनी चाहिए, अर्थात्, एक ऐसी जो क्षतिपूर्ति के रूप में पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दी जा सकती। तीसरी शर्त यह भी है कि 'सुविधा का संतुलन' निषेधाज्ञा प्रदान करने के पक्ष में होना चाहिए। निषेधाज्ञा प्रदान करने या इंकार करने में न्यायालय को ध्वनि न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए ताकि पक्षकारों को होने वाली पर्याप्त दुर्भाग्य या क्षति की मात्रा का पता लगाया जा सके, यदि निषेधाज्ञा अस्वीकार की जाती है और इसे निषेधाज्ञा प्रदान करने पर दूसरे पक्ष को होने वाली से तुलना की जाए। यदि प्रतिस्पर्धी संभावनाओं या क्षति की संभावनाओं को तौलने पर और यदि न्यायालय मानता है कि वाद लंबित होने तक, विषय वस्तु को यथास्थिति में बनाए रखना चाहिए, तो निषेधाज्ञा जारी की जाएगी। इस प्रकार, न्यायालय को वाद लंबित होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा की राहत प्रदान करने या इंकार करने में सही न्यायिक विवेक का प्रयोग करना है।'"

34. ऊपर चर्चित अभिलेख पर सामग्री से, यह प्रतीत होता है कि यह विवाद में नहीं है कि वादी/अपीलकर्ता और प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 के बीच 07.04.2004 दिनांकित समझौता निष्पादित किया गया था, जिसमें 23.50 लाख रुपये में से 11,75,500/- रुपये का आंशिक भुगतान भुगतान की गई राशि के रूप में कहा गया है। शेष राशि के भुगतान के संबंध में प्रश्न विवादित है कि क्या इसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी-उत्तरदाता सं. 2 को भुगतान किया गया है या नहीं। समझौते में शेष राशि न भुगतान करने पर भुगतान की गई राशि की जब्ती का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त प्रश्न परीक्षण का विषय है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाता सं. 2 को 11,75,500/- रुपये का भुगतान विभिन्न दस्तावेजों सहित लिखित बयान, प्रतिशपथ पत्र, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त समझौता वाद का आधार है। कुल सहमत राशि का

50% स्वीकृत भुगतान दिखाता है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में मजबूत *प्रथम दृष्टया* मामला है। निषेधाज्ञा याचिका अस्वीकार किए जाने के ठीक बाद 23 एकड़ वाद भूमि में से लगभग 10 एकड़ भूमि की 8 बिक्री पत्र के माध्यम से बिक्री खुद उत्तरदाता सं. 2 के इरादे और आचरण को दिखाती है। याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न मंचों पर 11,75,500/- रुपये का आंशिक भुगतान स्वीकार करने के बाद अब इसे इनकार करना वर्तमान कार्यवाही के दौरान उत्तरदाता सं. 2 के आचरण को भी दिखाता है।

35. रिट आवेदन सीडब्ल्यूजेसी सं. 19782 वर्ष 2021 में, जो उसी दीवानी वाद सं. 625 वर्ष 2019 से उत्पन्न हुआ है, सभी पक्षकारों की सहमति से, रिट आवेदन को 24.11.2022 को आदेश की संचार की तिथि से एक वर्ष के भीतर उक्त दीवानी वाद का निपटारा करने के निर्देश के साथ निपटाया गया। यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष प्रस्तुत करते हैं कि यह आवेदन तदनुसार निपटाया जा सकता है और वे निर्धारित अवधि के भीतर वाद का निपटारा करने के लिए विचारण न्यायालय का सहयोग करने का वचन देते हैं। विचारण न्यायालय की रिर्पोट से प्रतीत होता है कि मामला अभी भी पक्षकारों की उपस्थिति के लिए लंबित है।

36. उत्तरदाता सं. 4 को छोड़कर, अन्य उत्तरदाताओं ने इस मामले में इस न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समय के भीतर वाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए विचारण न्यायालय का सहयोग करेंगे।

37. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर चर्चित कानून में, मेरी विचारित राय में याचिकाकर्ता के पास मजबूत *प्रथम दृष्टया* मामला है, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है और यदि वादी/अपीलकर्ता के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो अपूरणीय हानि होगी। यह विविध अपील स्वीकार किए

जाने योग्य है। विवादित आदेश तदनुसार रद्द किया जाता है और यह विविध अपील स्वीकार की जाती है।

38. पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है, इस चरण में यह न्यायालय तथ्यों की खोज से या वाद के गुणों पर कोई राय व्यक्त करने से परहेज करता है। वर्तमान आदेश में कुछ भी वाद की अंतिम सुनवाई में इस न्यायालय द्वारा कोई राय या टिप्पणी के रूप में माना या व्याख्या नहीं किया जाएगा, जो स्वाभाविक रूप से अपने गुणों पर निर्णय लिया जाएगा। इस न्यायालय ने पहले ही परीक्षण को एक वर्ष के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया है, जैसा कि पहले कहा गया है और इसे दोहराया जाता है।

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

खुशबू/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।